



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 215 राँची, मंगलवार,

11 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

23 मार्च, 2023

संख्या-04/प्रशिक्षण-11-01/2023 का.- 1739--SLP(Civil) No.18890/2021 अखिलेश प्रसाद बनाम झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य में दिनांक 26.04.2022 एवं WP(S) No.3480/2013 में दिनांक 22.09.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2010 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 6634 दिनांक 20.10.2022 द्वारा श्री अखिलेश प्रसाद को परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए खूँटी जिला में जिला प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थापित किया गया है ।

2. SLP(Civil) No.18890/2021 अखिलेश प्रसाद बनाम झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य में दिनांक 26.04.2022 एवं WP(S) No.4880/2013 में दिनांक 11.04.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2010 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 6635 दिनांक 20.10.2022 द्वारा श्री मनोज कुमार को परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए खूँटी जिला में जिला प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थापित किया गया है ।

3. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के परीक्ष्यमान उप समाहर्ता श्री अखिलेश प्रसाद एवं श्री मनोज कुमार को दिनांक 27.03.2023 के प्रभाव से श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची द्वारा आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किया जाता है ।

4. उपर्युक्त नामित पदाधिकारी यदि किसी प्रभार में हो तो उपायुक्त खूँटी इन्हें आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रभार मुक्त करते हुए विरमित कर देंगे ।

5. श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत उपर्युक्त पदाधिकारी अपने पदस्थापित जिला में योगदान सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।
